संख्या-219/2016/आर-5637/26-3-2016-4(1)/2014

प्रेषक,

कामता प्रसाद
अनुसचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक
समाज कल्याण
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 14 दिसम्बर, 2016

विषयः- रिट याचिका संख्या-18594/2016 कालेज आफ एजूकेशन बिलासपुर, गौतमबुद्धनगर बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक-10.08.2016 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के अर्द्धशासकीय पत्रांक-4153/स.क./शिक्षा-अ, दिनांक-17.10.2016 द्वारा उपलब्ध करायी आख्या पर सम्यक्विचारोपरान्त उक्त याचिका में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक-10.08.2016 के अनुपालन में याची शिक्षण संस्था में वर्ष 2013-14 में अध्ययन प्राप्त 331 अनुसूचित जाति छात्र-छात्रों की दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की देय धनराशि रूपये-77.2661 लाख (रूपये सतहत्तर लाख छब्बीस हजार छः सौ दस मात्र) एवं 162 सामान्य वर्ग छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की देयता रूपया-27.6906 लाख (रूपया सत्ताईस लाख उन्हत्तर हजार साठ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 की क्रमशः अनुदान संख्या-83 (अनुसूचित जाति) एवं अनुदान संख्या-80 (सामान्य वर्ग) के योजनान्तर्गत आयोजनागत पक्ष में प्राविधानित धनराशि जिसकी स्वीकृति पूर्व में निर्गत की गयी है, से व्यय/भुगतान की अनुमति प्रदान की जाती है।

2- मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक-10.08.2016 के अनुपालन में याची शिक्षण संस्था का प्रत्यावेदन स्वमुखरित अपने स्तर से निस्तारित कराने का कष्ट करें।

उक्त आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च 2016 में निहित प्राविधानों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

कामता प्रसाद
अनुसचिव

पृ.संख्या-219/2016/आर-5637(1)/26-3-2016 तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा) प्रथम,उ0प्र0,इलाहाबाद।
2. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. जिला समाज कल्याण अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
6. समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/गार्ड फाइल।

आज्ञा से

कामता प्रसाद
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in